कार्यालय जिला परिषद, जयपुर

Email ID :- jaipuraceo@gmail.com
दूरभाष नम्बर :- 0141-2200724

क्रमांकः- एफ 10 ( )जिपज/संस्था/2023/226 दिनांकः- 20/9/23

श्रीमान अति0 जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट जयपुर।

विषयः- परिवाद द्वारा श्री अतुल कुमार जैन सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद जयपुर 145, श्री जी नगर दुर्गापुरा, जयपुर के सम्बंध में जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः- माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का परिवाद संख्या 3030/20/14/2021 एवं आपके पत्रांक न्याय/ग्रुप-2/(1044)/2023/875 दिनांक 05.09.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में श्री जैन के वेतन नियतन/पेंशन प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः-

1. श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 28 ( )/प्रशा.2/पप्रअ/निल./09/735 जयपुर दिनांक 29.03.2023 के द्वारा श्री अतुल कुमार जैन की डुप्लीकेट सर्विस बुक जिला परिषद जयपुर में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में तैयार कर श्री जैन के बकाया परिलाभों के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
2. उक्त आदेशों की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा वरिष्ठ लेखाधिकारी के निर्देशन में श्री जैन का रिकॉर्ड तैयार किये जाने हेतु तीन सदस्यों को दायित्व प्रदान किये गये।
3. तदउपरान्त श्री जैन द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपस्थिति प्रमाण पत्र GA 55 और कार्यालय रिकोर्ड के आधार पर कार्मिक का ग्राम सेवक पदेन सचिव एवं पंचायत प्रसार अधिकारी के पद की वेतन श्रृंखला में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 119 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा वेतन निर्धारण किया गया, जिसके आधार पर कार्मिक का वेतन पे मेट्रिक्स लेवल एल-10 के मूल वेतन 46700/- पर वेतन नियतन किया गया।
4. कार्मिक का वेतन नियतन किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 127 दिनांक 18.07.2023 एवं दिनांक 11.8.2023 के द्वारा पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित किया गया।
5. कार्मिक के वेतन नियतन एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर श्री जैन को अगस्त 2019 के वेतन अन्तर की राशि 34447/- का भुगतान बिल क्रमांक 103787412 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा कर दिया गया है।
6. उल्लेखनीय है कि श्री जैन द्वारा सेवा में रहते हुये व आज दिनांक तक की स्थिति में 9, 18 एवं 27 वर्षीय ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया। आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निरन्तर लगने वाले वेतन वृद्वियों अनुसार कार्मिक को देय कार्यरत पदों की

वेतन श्रृंखला में वेतन नियतन करते हुये ही पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया गया है। कार्मिक द्वारा एसीपी स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में प्रकरण विभाग को प्रेषित किया जाकर वेतन संशोधन की कार्यवाही सम्पादित की जाकर पेंशन में भी आवश्यक संशोधन करा दिया जावेगा।

उक्तानुसार श्री जैन के वेतन निर्धारण के सम्बंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सुनिता यादव)RAS
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

क्रमांकः– एफ 10 ( )जिपज/संस्था/2023/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान उप रजिस्ट्रार(लॉ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार भवन ब्लॉक 'सी' जी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स आई.एन.ए. नई दिल्ली–110023 को उनके परिवाद संख्या 3030/20/14/2021 के संबंध में।
2. श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

कार्यालय जिला परिषद, जयपुर

Email ID :- jaipuraceo@gmail.com
दूरभाष नम्बर :- 0141-2200724

क्रमांकः- एफ 10 ( )जिपज/संस्था/2023/191 दिनांकः- 24/8/23

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः- श्री अतुल कुमार जैन, सहायक विकास अधिकारी (सेवानिवृत), जिला परिषद जयपुर के पेंशन प्रकरण के संबंध में।

प्रसंगः- श्रीमान का पत्रांक क्रमांक एफ 28( )परावि/प्रशा.2/पंप्रअ/निल./09/राजकाज रेफरेंस नम्बर 4516134 दिनांक 14.08.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में श्री जैन के वेतन नियतन/पेंशन प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः-

1. श्रीमान आतेरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 28 ( )/प्रशा.2/पप्रअ/निल./09/735 जयपुर दिनांक 29.03.2023 के द्वारा श्री अतुल कुमार जैन की डुप्लीकेट सर्विस बुक जिला परिषद जयपुर में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में तैयार कर श्री जैन के बकाया परिलाभों के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
2. उक्त आदेशों की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा वरिष्ठ लेखाधिकारी के निर्देशन में श्री जैन का रिकॉर्ड तैयार किये जाने हेतु तीन सदस्यों को दायित्व प्रदान किये गये।
3. तदउपरान्त श्री जैन द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपस्थिति प्रमाण पत्र GA55 और कार्यालय रिकोर्ड के आधार पर कार्मिक का ग्राम सेवक पदेन सचिव एवं पंचायत प्रसार अधिकारी के पद की वेतन श्रृंखला में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 119 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा वेतन निर्धारण किया गया, जिसके आधार पर कार्मिक का वेतन पे मेट्रिक्स लेवल एल-10 के मूल वेतन 46700/- पर वेतन नियतन किया गया।
4. कार्मिक का वेतन नियतन किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 127 दिनांक 18.07.2023 एवं दिनांक 11.8.2023 के द्वारा पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित किया गया।
5. कार्मिक के वेतन नियतन एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर श्री जैन को अगस्त 2019 के वेतन अन्तर की राशि 34447/- का भुगतान बिल क्रमांक 103787412 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा कर दिया गया है।
6. उल्लेखनीय है कि श्री जैन द्वारा सेवा में रहते हुये व आज दिनांक तक की स्थिति में 9, 18 एवं 27 वर्षीय ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया। आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निरन्तर लगने वाले वेतन वृद्वियों अनुसार कार्मिक को देय कार्यरत पदों की वेतन श्रृंखला में वेतन नियतन करते हुये ही पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया गया है। कार्मिक द्वारा एसीपी स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में प्रकरण विभाग को प्रेषित किया जाकर वेतन संशोधन की कार्यवाही सम्पादित की जाकर पेंशन में भी आवश्यक संशोधन करा दिया जावेगा।

उक्तानुसार श्री जैन के वेतन निर्धारण के सम्बंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 शिल्पा सिंह)IAS
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

कार्यालय जिला परिषद जयपुर

Ph. No. 0141-2200724 Email Id :jaipuraceo@gmail.com

क्रमांकः–एफ.10 ( ) संस्था/2022/13 दिनांक : 06/04/2023

आदेश

श्री अतुल कुमार जैन, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव पंचायत समिति विराटनगर (जयपुर) में कार्यरत रहने के दौरान गुर्जर आंदोलन में हुई आगजनी में पंचायत समिति विराटनगर का समस्त रिकार्ड जला दिया गया था। जिसमें श्री जैन का सेवा रिकार्ड भी जल गया था। जिसके पश्चात् श्री जैन का स्थानान्तरण जिला परिषद जयपुर में सहायक विकास अधिकारी के पद किये जाने के उपरान्त जिला परिषद जयपुर से सेवानिवृत हो गये। श्री जैन का सेवा रिकार्ड नही होने के कारण वेतन निर्धारण एवं सेवा निवृत देय परिलाभो के भुगतान के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया था।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 28( )परावि/पंप्रअ/निल./09/735 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा जिला परिषद में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में तैयार करवाकर श्री जैन के बकाया परिलाभ के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है। विभागीय निर्देशो की पालना में श्री प्रभु लाल बैरवा वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद जयपुर के निर्देशन में डुप्लीकेट सेवा रिकार्ड आदि तैयार करने हेतु निम्नाकिंत कार्मिको को दायित्व प्रदान किये जाते हैः–

क्र.स	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद नाम	पदस्थापित कार्यालय
1.	श्री रुपेन्द्र सिंह	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जिला परिषद जयपुर
2.	श्री रतिराम रावत	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	पंचायत समिति विराटनगर
3.	श्री खेमराज जिन्दोलिया	वरिष्ठ सहायक	पंचायत समिति विराटनगर

उक्त दायित्वाधीन अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य को 7 दिवस में आवश्यक रुप से पूर्ण संधारित रिकार्ड मय रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

"यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है"

(सुमन देवी)
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव–द्वितीय पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. श्री प्रभु लाल बैरवा, वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री..... को पालनार्थ।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति विराटनगर पालनार्थ।
6. श्री अतुल कुमार जैन, सेवानिवृत सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद जयपुर निवासी 145, श्री जी नगर, दुर्गापुरा जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावें।
7. रक्षित पत्रावली।

अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद जयपुर

कार्यालय जिला परिषद जयपुर

Email id :– jaipuraceo@gmail.com दूरभाष नम्बर : –0141–2200724

क्रमांकः–एफ10(75)/जिपज/संस्था./2023/ 127 दिनांकः– 18/7/23

सहायक निदेशक
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर
राजस्थान जयपुर।

विषयः– श्री अतुल कुमार जैन पंचायत प्रसार अधिकारी की पेंशन स्वीकृत के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री अतुल कुमार जैन सेवानिवृत पंचायत प्रसार अधिकारी के विरूद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण कार्यालय के प्रस्ताव अनुसार आपके कार्यालय के द्वारा पीपीओ नम्बर 1159567 दिनांक 15.12.2021 के द्वारा कार्मिको को प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गई थी।

श्रीमान निदेशक पंचायतीराज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ–जि.प–जयपुर/अनु.कार्य/2019/1866 जयपुर दिनांक 15.07.2021 के द्वारा विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विचाराधीन प्रकरण मे जॉच अधिकारी की रिपोर्ट/अनुशंषा को स्वीकारते हुए श्री जैन के विरूद्ध विचाराधीन/लंबित प्रकरण को समाप्त किया गया। इसके उपरान्त उपायुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय पंचायतीराज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 28 ( )पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ–निलम्बन /जि–प जयपुर/2019/708 जयपुर दिनांक 10.03.2022 के द्वारा श्री अतुल कुमार जैन निलम्बन अवधि को नियमित किया जाकर उक्त अवधि के बकाया समस्त परिलाभ दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण मे माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का परिवाद संख्या 3030/20/14/2021 मे दिनांक 27.06.2023 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को प्राप्त सम्मन अनुसार श्री अतुल कुमार जैन बकाया पेंशन परिलाभ स्वीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त की पालना दिनांक 20.07.2023 तक नही होने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

चूँकि श्री जैन के विरूद्ध जांच/विचाराधीन प्रकरणो को समाप्त कर निलम्बन अवधि को नियमित किया जाकर बकाया समस्त परिलाभ दिये जाने की सहमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप श्री जैन की पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के मूल वेतन 46700 के अनुसार पेंशन स्वीकृत कर जीपीओ,पीपीओ एवं सीपीओ की अधिकृती जारी किये जाने हेतु प्रकरण भिजवाया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

1. पेंशन कुलक – 1
2. अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र – 1
3. सेवानिवृत आदेश – 1
4. बैक पासबुक की छायाप्रति – 1
5. अन्य वाछित प्रमाण पत्र व पत्रादि

(सुमन देवी)
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद जयपुर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ/पालनार्थ

1. श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय पंचायतीराज विभाग
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
3. श्रीमान अति जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा जयपुर।
4. श्री अतुल कुमार जैन सेवानिवृत पंचायत प्रसार अधिकारी को सूचनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद जयपुर

राजस्थान सरकार

120
18/7/23

कार्यालय जिला परिषद जयपुर
गत भुगतान प्रमाण–पत्र

1. गत भुगतान पत्र श्री अतुल जैन, पंचायत प्रसार अधिकारी, जो दिनांक 31.08.2019 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर जिला परिषद जयपुर से सेवानिवृत हो रहे है।
2. इनको भुगतान दिनांक 31.08.2019 तक निम्नलिखित दर से किया जा चुका है।

दरः– मूल वेतन @ 46700

(1) मूल वेतन :– 46700 (स्थापना वेतन) एल–10
(2) महगाई भत्ता :– 7939
(3) मकान किराया :– 7472
(4) शहरी भत्ता :– 1000
योग 63111/–

3. इन्होने जिला परिषद जयपुर का कार्यभार दिनांक 31.08.2019 को मध्यान्ह से पीछे/पूर्व सौप दिया।
4. पृष्ट पर दिये अनुसार कर्मचारी से वसूली कर ली गई है।

अवधि ..... दर..... रकम .....

दिनांक	दिनांक तक	दर रूपयें	माहवार
NIL	NIL	NIL	NIL

5. यह निम्नलिखित रकम लेने का हकदार है।
6. इनको दूसरी जगह काम सम्भलाने के लिए नियमानुसार दिनांक समय मिल सकता है।
7. इनको निम्नलिखित बीमा पॉलिसी का भुगतान प्रोविडेन्ट फण्ड से किया जाता है।

बीमा का नाम व राजकीय बीमा का विभाग	पॉलिसी न0	रकम किश्त	किश्त भुगतान की तिथि
जी.पी.एफ. ID No. RJBR197704010722	3064		वेतन माह अगस्त 19 तक की कटौतियॉ कर ली गई है।
राज्य बीमा	997451		
जीपीएफ	3064		
आर.पी.एम.एफ.		273	

8. आयकर की विगत चालू वर्ष में आज तक वसूल हुआ है पृष्ठ पर लिखित है :–

दिनांक 18/7/23

(2)
(सुमन देवी)
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

120
18/7/23

वसूलियों की विगत

किश्त वसूली	वसूली योग्य कुल	किश्तों की संख्या	वसूल की गई रकम	बाकी वसूल योग्य रकम
1	वसूली होने पर अवगत करा दिया जावेगा ।			

अवकाश वेतन से की गई कटौतियों की विगत

दिनांक से	दिनांक तक	बाबत	रूपये
NIL	NIL	NIL	NIL

आयकर कटौतियों की विगत

माह	वेतन		अनोतौषित की इत्यादि		फण्ड एवं अन्य कटौतियां		बीमा		आयकर रकम जो वसूल की गई		वि.वि.
	रू.	पै.	रू.	पै.	रू.	पै.	रू.	पै.	रू.	पै.	
मार्च, 19									0		
अप्रेल, 19									0		
मई, 19									0		
जून 19									0		
जूलाई 19									0		
अगस्त 19									0		
सित. 19									0		
अक्टू 19									0		
नवम्ब, 19									0		
दिस.19									0		
जन. 20									0		
फर. 20									0		
मार्च 20									0		
योग									0		

(सुमन देवी)
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

कार्यालय जिला परिषद जयपुर

क्रमांकः– एफ50( )/जिपज/लेखा/ 2023 /119 दिनांकः– 18/7/23

कार्यालय आदेश

श्री अतुल कुमार जैन, सेवानिवृत पंचायत प्रसार अधिकारी की सेवा पुस्तिका गुर्जर आंदोलन अग्निकांड में जलने के कारण सेवाकाल एवं पदानुसार जो वेतन एवं वेतनमान दिया जाना एवं जिस पर पेंशन स्वीकृत की जानी है तथा मानवाधिकार आयोग में चल रहे परिवाद का निस्तारण निर्धारित अवधि से पूर्व किये जाने बाबत नियमानुसार देय वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है।

कस	वेतन श्रृंखला	मूल वेतन	प्रभावी तिथि
1	3200-85-4900	3200	01-09-1996
	3200-85-4900	3285	01-09-1997
	3200-85-4900	3370	01-09-1998
	3200-85-4900	3455	01-09-1999
	3200-85-4900	3540	01-09-2000
	3200-85-4900	3625	01-09-2001
	3200-85-4900	3710	01-09-2002
	3200-85-4900	3795	01-09-2003
	3200-85-4900	3880	01-09-2004
10	दिनांक 14.09.2004 को वेतन श्रृखला 4000–100–8000 में वेतन नियतन	4000	14-09-2004
11	4000–100–8000	4100	01-09-2005
12	4000–100–8000	4200	01-09-2006
13	4000–100–8000	4300	01-09-2007
14	वेतन श्रृखला 5000–150–8000 में में संशोधित वेतन नियतन	5000	01-09-2008
15	5000–150–8000	5150	01-09-2009
16	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन नियतन उपरांत दिनांक 01.09.2008 वेतन श्रृखला 9300–34800 ग्रेड पे–3200 में वेतन नियतन	12500	01-09-2008
17	9300–34800 ग्रेड पे–3200	12880	01-07-2009
18	9300–34800 ग्रेड पे–3200	13270	01-07-2010
19	9300–34800 ग्रेड पे–3200	13670	01-07-2011
20	9300–34800 ग्रेड पे–3200	14080	01-07-2012
21	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन नियतन उपरांत दिनांक 01.07.2013 वेतन श्रृखला 9300–34800 ग्रेड पे–3600 में संशोधित वेतन नियतन	14900	01-07-2013
22	9300–34800 ग्रेड पे–3600	15350	01-07-2014
23	9300–34800 ग्रेड पे–3600	15810	01-07-2015
24	9300–34800 ग्रेड पे–3600	16290	01-07-2016
25	पुनरीक्षित वेतनमान 2017 को दिनांक 01.01.2016 में पे मेट्रिक एल–10 में वेतन नियतन	41500	01-01-2016
26	पे मेट्रिक एल–10	42700	01-07-2016
27	पे मेट्रिक एल–10	44000	01-07-2017
28	पे मेट्रिक एल–10	45300	01-07-2018
29	पे मेट्रिक एल–10	46700	01-07-2019

1. उक्त प्रविष्टियो की पुष्टि राजस्थान सेवा नियम, वेतन निर्धारण नियमो के तहत किया जावें।

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर।
3. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
4. श्री अतुल कुमार जैन, सेवानिवृत पंचायत प्रसार अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद जयपुर

Reference No :103787412

Government Of Rajasthan
PD PAYMENT (outer sheet)

Detailed pay bill of permanent/temporary establishment of Jila Parishad Jaipur(2084)

Bill No:	103787412	Date:	18/07/2023	DDOCode:	2084	TAN	JPRA02943D	Object Head:	00
Budget Head:	8448-00-109-03-00			Demand No:	0	NA : 34447.00		Pd Act No	573

To,
The Treasury Officer,JAIPUR (CITY)
Please Order to pay the claim contained in this bill

Signature of Clerk Signature of Jr.Acct Sign (With Seal) e-Sign / Digital Signature of DDO

जिला परिषद, जयपुर

Certified that I have Personally Examined and satisfied myself about the genuineness of claim that the pay and allowance of the employee included in this pay bill are strictly in accordance with rules and that the said employee are entitled to such pay and allowance . it is further certified that I have personally ensured observance of all formalities regarding necessary entries

Sign (With Seal) e-Sign / Digital Signature of DDO

जिला परिषद, जयपुर

Allowance Name	Payid	Amount
Basic	100	25900.00
DA	104	4403.00
HRA	107	4144.00

Pri-PayManager IFMS

Gross Amount :	34447.00
Total Deduction:	0.00 ()
Net Amount:	34447.00 (34447.00)
(In Words)	THIRTY FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY

Treasury Voucher No Date

For Treasury Use

Pay rs.	34447.00
(In Words)	THIRTY FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY
(In Cash)	34447.00
(In Words)	THIRTY FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY
B.T.	0.00
Total Credit Rs	34447.00

Jr. Acct Acct. Treasury Officer ESign

For Accountant General Office

Total Credit Rs. Total Credit Rs.

Auditor SupdL Gaz.officer

Scanned with OKEN Scanner

ence No:103787412

Government Of Rajasthan
Salary Arrear Bill

Name : Jila Parishad Jaipur(2084)

Billno & BillDate:103787412 & 18/07/2023 Pd Act No : 573 Month:July/2023

Name/ Designation/ Bank Account No	GPF NO / Bell No	Allowance Details				Deduction Details	Net Amount
1 ATUL KUMAR JAIN पंचायत प्रसार अधिकारी 33920100013464	3064 0	MM/YYYY	Allowance	Amount	Old Amt		34447.00 (34447.00)
		7/2023	Basic	25900.00	0.00		
		7/2023	DA	4403.00	0.00		
		7/2023	HRA	4144.00	0.00		
		Total :		34447.00	0.00		

Total Allowances		Total Deductions	Total Gross Amount	Total Net Amount
Basic	25900.00			
DA	4403.00			
HRA	4144.00			
	34447.00	0.00 (0.00)	34447.00	34447.00 (34447.00)

Sign (With Seal/e-Sign/Digital ESign of DDO

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

Pri-PayManager
IFMS

26	पे मैट्रिक्स एल-10	41500 42700	01-01-2016

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला परिषद, जयपुर

Email ID :- Jaipuraceo@gmail.com दूरभाष नम्बर :- 0141-2200724

क्रमांकः- एफ 10 ( )जिपज/संस्था/2023/ 164 दिनांकः- 11/08/23

सहायक निदेशक,
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर
राजस्थान, जयपुर।

विषयः- श्री अतुल कुमार जैन पंचायत प्रसार अधिकारी के पेंशन प्रकरण के सम्बंध में।

प्रसंगः- आपके पत्र क्रमांक पी.आर. /पी.एफ./531/के.109/2019-20 35058 दिनांक 28.07.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि श्री अतुल कुमार जैन पंचायत प्रसार अधिकारी के पेंशन प्रकरण में निम्न आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाया जा रहा है।

आक्षेप संख्या	आक्षेप का विवरण	आक्षेप का प्रतिउत्तर
1	विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, पर नियुक्त अधिकारी से हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर कर भिजवायें।	विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
18	पेंशन रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र सेवा निवृत्ति तिथि से एक वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार्य नहीं है।	श्री अतुल कुमार जैन पंचायत प्रसार अधिकारी की पूर्व में जांच विचाराधीन होने के कारण प्रोविजनल पेंशन प्रकरण भिजवाया गया था। जिस पर पीपीओ नम्बर 1159567 दिनांक 15.12.2021 के द्वारा कार्मिक की प्रोविजन पेंशन स्वीकृत कर दी गई थी। एवं वर्तमान में जांच समाप्ति के उपरांत पूर्ण पेंशन प्रकरण भिजवाया गया है। इस प्रकार प्रकरण भिजवाने में विलम्ब नहीं किया गया है।

पेंशन निदेशालय
जयपुर, राज.
11 AUG 2023
पत्र प्राप्ति

(सुनिता यादव) RAS
अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर